

राजस्थान-सरकार
निदेशालय संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-निसंशि/योजना/पं. 3ख/12 पार्ट/2020-21/ 10951-11250 दिनांक :- 18.3.2021

समस्त संभागीय संस्कृत शिक्षाधिकारी,
जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, भरतपुर,
अजमेर, बीकानेर संभाग चूरु।

विषय :- राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु अनुदान सहायता राशि हेतु आवेदन पत्र दिनांक 05.04.2021 तक भिजवाने के क्रम में।


उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय नई दिल्ली के अधीनस्थ राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली द्वारा संस्कृत शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु राजकीय/अराजकीय संस्कृत विद्यालयों को दी जाने वाली अनुदान सहायता राशि हेतु नवीन/नवीनीकरण के आवेदन मांगे गये हैं। उक्त संदर्भ में आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके अधीन संचालित संस्थाओं के आवेदन प्राप्त कर निर्धारित तिथि तक विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। नवीन अनुदान सहायता हेतु आवेदन पत्र निदेशालय संस्कृत शिक्षा की अभिशंषा हेतु निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर को अग्रेषित किया जावे एवं अराजकीय संस्थाओं को आवेदन हेतु प्रेरित करें।

राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली द्वारा निम्न मदों में अनुदान/सहायता प्रदान की जाती है:-

- (1) राजकीय/अराजकीय संस्थाओं में संस्कृत एवं आधुनिक विषय के अध्यापकों हेतु।
- (2) छात्रवृत्ति राजकीय/अराजकीय संस्थाओं हेतु।
- (3) पुस्तकालय की पुस्तकों हेतु।


अतः राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली से अनुदान सहायता राशि प्राप्त करने के इच्छुक संस्कृत विद्यालय, वर्ष 2021-22 हेतु आवेदन दो प्रतियों में निर्धारित तिथि 05.04.2021 तक भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों को राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली को अग्रेषित किये जाने पर कोई विचार नहीं किया जावेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आप स्वयं की होगी।

अनुदान सहायता संबंधी समस्त जानकारी राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली की वेबसाईट www.sanskrit.nic.in पर योजनाओं के आवेदन पत्र तथा शर्तें/नियम प्राप्त करें।


(डॉ. दीरघराम रामस्वामी)

निदेशक
संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि :- प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक, राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय/प्रवेशिका, अराजकीय वरिष्ठ उपाध्याय/प्रवेशिका/उच्च प्राथमिक/प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, राजस्थान को भेजकर लेख है कि उक्त आवेदन पत्र संबंधित संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी के माध्यम से निर्धारित तिथि 05.04.2021 तक निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों को राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली को अग्रेषित किये जाने पर कोई विचार नहीं किया जावेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आप स्वयं की होगी।


निदेशक

संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर